

20/6/24 वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं।  
आ-आ क्रियावाज दिलायी गई। किन्तु  
कोई डी. नहीं किया। ऐसी स्थिति में  
दावा वादी कदम हाजरी एवं डी. में  
पुस्तिका में खाली किया जाता है।  
पत्रां वापिस देता है।

24  
उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)